(12)-19

पत्र संख्या–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 02-09-22

विषयः– राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परन्तु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, का मामला विचाराधीन है।

2. उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–70 दिनांक–11.06.1996 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि –

राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की सम्पूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं।

3. इसी प्रकार बिहार अधिनियम–15, 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि–

राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम–3, 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–3025 दिनांक–11.09.2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिन्दुओं को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

(i) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा।

(ii) चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी (विवाहित महिला सहित) के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जायेगा।

(iii) बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट–14 (नियम–169) के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र, संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा।

5. अतः ऐसी विवाहित महिलाएं, जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

02/09/2022.

(रजनीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760 **/पटना–15, दिनांक** 02.09.22

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02/09/2022.

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760 **/पटना–15, दिनांक** 02.09.22

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/2022.

सरकार के उप सचिव।